न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या —1138 / 2024

अनवान : —

1. विमला देवी
2. राजकुमार
3. कान्ता देवी
4. रमेश कुमार
5. सुभाष चन्द्र सोनी
6. सुरेश कुमार
7. सुशील कुमार
8. कमलेश कुमार
9. जयप्रकाश

पुत्र व पुत्रीयान बिशनलाल जाति सोनी निवासी नोहर जरिये मु0 आम महेन्द्र सैनी पुत्र झाबरमल सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।

10. सुमन रानी पत्नी स्व0 अशोक कुमार जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. पवन कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. दीपक सोनी पुत्री अशोक कुमार सोनी जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर जरिये मु0 आम महेन्द्र सैनी पुत्र झाबरमल सैनी जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।

— **वादीगण**

बनाम्

1. वीना देवी पुत्री बिशनलाल जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88—89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 03/03/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 115 / 111 की कुल 0.8220 हैक्ट भूमि भूरा पुत्र वजीरा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूरा पुत्र वजीरा के नाम दर्ज है भूरा पुत्र वजीरा का देहान्त हो चुका है। भूरा पुत्र वजीरा के फौत होने के बाद उनके चार पुत्रगण दानाराम, बीरजलाल, मोहनलाल, बिशनलाल पुत्रगण भुराराम हुए जिनमें से दानाराम, बीरजलाल, मोहनलाल पि0 भुरा ने दिनांक 07.08.1977 को [illegible] क व हिस्सा यानि की 3 / 4 हिस्साा भूमि अपने सगे भाई बिशनाराम पुत्र [illegible] बिशनाराम पुत्र भुराराम ने उक्त भूमि समस्त प्रतिफल देकर जरिये बैयनामा खरीद की [illegible] लेकिन उस समय [illegible]न्धक विभाग की कार्यवाही जैरकार थी जिसके कारण बैयनामा का नामान्तरण की कार्यवाही नही हो सकी। भूरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:07:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

पुत्र वजीर के चारो लड़के फौत हो चुके है तथा बिशनलाल का एक लड़का अशोक कुमार व बिशनलाल की धर्मपत्नी भी फौत हो चुके है। अशोक कुमार के वारिसान उसकी धर्मपत्नी सुमन रानी व दो पुत्र है। दानाराम, मोहनलाल, बीरजलाल के अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्से का बेचान कर दिया इसलिए उनको पक्षकार संयोजित नही किया गया है। रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता स0 115/111 के ख0न0 27 की 0.5690 हैक्ट, ख0न0 28 की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 0.8220 हैक्ट भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 9 प्रत्येक 1/11 हिस्सा, वादीगण संख्या 10 ता 12 बहिब 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/11 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादीगण इसी अनुसार भूरा का नाम कलमजन करवाकर न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये मुख्त्यारआम वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी स0 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, मृत्यु प्रमाण भूरा, चित्रप्रति मुख्त्यारनामा आम, मृत्यु प्रमाण पत्र बिशनलाल, शपथ पत्र बाबत सदस्य, बैयनामा दिनांक 07.08.1977 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादी का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूरा पुत्र वजीरा के नाम दर्ज है भूरा पुत्र वजीरा का देहान्त हो चुका है। भूरा पुत्र वजीरा के फौत होने के बाद उनके चार पुत्रगण दानाराम, बीरजलाल, मोहनलाल, बिशनलाल पुत्रगण भु[illegible] जिनमें से दानाराम, बीरजलाल, मोहनलाल पि0 भुरा ने दिनांक 07.08.1977 को अपना हक [illegible] की 3/4 हिस्साा भूमि अपने सगे भाई बिशनाराम पुत्र भुराराम को बेच कर दी। बिशनाराम पुत्र भुराराम ने उक्त भूमि समस्त प्रतिफल देकर जरिये बैयनामा खरीद की थी लेकिन उस समय भू प्रबन्धक विभाग की कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:07:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

जैरकार थी जिसके कारण बैयनामा का नामान्तरण की कार्यवाही नही हो सकी। भूरा पुत्र वजीर के चारो लड़के फौत हो चुके है तथा बिशनलाल का एक लड़का अशोक कुमार व बिशनलाल की धर्मपत्नी भी फौत हो चुके है। अशोक कुमार के वारिसान उसकी धर्मपत्नी सुमन रानी व दो पुत्र है। दानाराम, मोहनलाल, बीरजलाल के अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्से का बेचान कर दिया इसलिए उनको पक्षकार संयोजित नही किया गया है। रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता स0 115/111 के ख0न0 27 की 0.5690 हैक्ट, ख0न0 28 की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 0.8220 हैक्ट भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 9 प्रत्येक 1/11 हिस्सा, वादीगण संख्या 10 ता 12 बहिब 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/11 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादीगण इसी अनुसार भूरा का नाम कलमजन करवाकर न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जरिये मुख्त्यारआम वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 115/111 की कुल 0.8220 हैक्ट भूमि भूरा पुत्र वजीरा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूरा पुत्र वजीरा के नाम दर्ज है भूरा पुत्र वजीरा का देहान्त हो चुका है। भूरा पुत्र वजीरा के फौत होने के बाद उनके चार पुत्रगण दानाराम, बीरजलाल, मोहनलाल, बिशनलाल पुत्रगण भुराराम हुए जिनमें से दानाराम, बीरजलाल, मोहनलाल पि0 भुरा ने दिनांक 07.08.1977 को अपना हक व हिस्सा यानि की 3/4 हिस्साा भूमि अपने सगे भाई बिशनाराम पुत्र भुराराम को बैय कर दी। बिशनाराम पुत्र भुराराम ने उक्त भूमि समस्त प्रतिफल देकर जरिये बैयनामा खरीद की थी लेकिन उस समय भू प्रबन्धक विभाग की कार्यवाही जैरकार थी जिसके कारण बैयनामा का नामान्तरण की कार्यवाही नही हो सकी। भूरा पुत्र वजीर के चारो लड़के फौत हो चुके है तथा बिशनलाल का एक लड़का अशोक कुमार व बिशनलाल की धर्मपत्नी भी फौत हो चुके है। अशोक कुमार के वारिसान उसकी धर्मपत्नी सुमन रानी व दो पुत्र है। दानाराम, मोहनलाल, बीरजलाल के अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्से का बेचान कर दिया इसलिए उनको पक्षकार संयोजित नही किया गया है। रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता स0 115/111 के ख0न0 27 की 0.5690 हैक्ट, ख0न0 28 की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 0.8220 हैक्ट भूमि में वादीगण संख्या 1 ता 9 प्रत्येक 1/11 हिस्सा, वादीगण संख्या 10 ता 12 बहिब 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 अकेला 1/11 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादीगण इसी अनुसार भूरा का नाम कलमजन करवाकर न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा जरिये मुख्त्यारआम वादीगण के वाद को स्वीकार किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:07:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनु0)

जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नही है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादी स0 1 द्वारा जरिये मु0 आम स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत बैयनामा के मुताबिक उक्त वाद भूमि में से दानाराम, बीरजलाल व मोहनलाल पि0 भूरा द्वारा अपना हक हिस्सा बिशनलाल को बैय किया गया है। वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार बिशनलाल के पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। चित्रप्रति मु0 अमा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण की तरफ से जरिये मु0 आम पेश किया गया है। वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य हैं।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि है। रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता स0 115/111 के ख0न0 27 की 0.5690 हैक्ट, ख0न0 28 की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 0.8220 हैक्ट भूमि में भूरा पुत्र वजीराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 9 प्रत्येक को 1/11 हिस्सा, वादीगण संख्या 10 ता 12 को बहिब 1/11 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 को 1/11 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 03/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:07:00 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –1138 / 2024

अनवान : –

1. विमला देवी
2. राजकुमार
3. कान्ता देवी
4. रमेश कुमार
5. सुभाष चन्द्र सोनी
6. सुरेश कुमार
7. सुशील कुमार
8. कमलेश कुमार
9. जयप्रकाश

(1 से 9) पुत्र व पुत्रीयान बिशनलाल जाति सोनी निवासी नोहर जरिये मु0 आम महेन्द्र सैनी पुत्र झाबरमल सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।

10. सुमन रानी पत्नी स्व0 अशोक कुमार जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
11. पवन कुमार पुत्र अशोक कुमार जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. दीपक सोनी पुत्री अशोक कुमार सोनी जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर जरिये मु0 आम महेन्द्र सैनी पुत्र झाबरमल सैनी जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. वीना देवी पुत्री बिशनलाल जाति सोनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1138 सन 2024 निर्णय दिनांक 03/03/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी चारणान के खाता स0 115 / 111 के ख0न0 27 की 0.5690 हैक्ट, ख0न0 28 की 0.2530 हैक्ट भूमि कुल 0.8220 हैक्ट भूमि में भूरा पुत्र वजीराराम का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 9 प्रत्येक को 1 / 11 हिस्सा, वादीगण संख्या 10 ता 12 को बहिब 1 / 11 हिस्सा, प्रतिवादी स0 1 को 1 / 11 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकार अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.03.11 15:07:00 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर